केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/58 दिनांक: 26.02.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00046
CICOM/R/2018/01138

अपीलकर्ता : श्री नवीन कुमार,
द्वारा – श्री किशोरी लाल,
पादरी की हवेली, रूस्तम पीर की गली,
पो0 – पटना सिटी, जिला – पटना,
बिहार – 800008.

निर्णय की तारीख: 26.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.11.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	06.11.2018 (टंकण चूक), 10.12.2018, 10.12.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री एस. सी. शर्मा, श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	79/20.02.2019 (9072/19.02.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा बिंदु सं. 3(1) एवं 3 (2) के तहत प्रदान की गई सूचनाओं के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि बिंदु सं. 3(3) से संबंधित सूचना उन्हें नहीं दी गई है ।

2. प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का प्रथम अपील आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 19.02.2019 को एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 20.02.2019 को प्राप्त हुआ है, जिसपर **अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन का दिनांक 15.01.2019 एवं समय 10:30 प्रात: लिखा गया है जबकि लिफाफे पर लगी स्पीड पोस्ट की पर्ची (No. EF342443878IN) को ट्रैक करने पर पाया गया कि यह दिनांक 15.02.2019 को प्रेषित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय सूचना आयोग को गुमराह किया जा रहा है ।**

3. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना एवं प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन के बिंदु सं. 3 (1) के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध पूर्ण सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवा दी गई है । बिंदु सं. 3(2) के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से भी अधोहस्ताक्षरी पूर्णत: सहमत हैं । बिंदु सं. 3(3) के संदर्भ में आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय केन्द्रीय सूचना आयुक्त द्वारा जारी किया जाता है एवं आयोग के निर्णय पर किसी तरह की टीका-टिप्पणी करना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है और न ही आयोग के निर्णय का कारण लिखित रूप में उपलब्ध होता है, जिसे आवेदक को प्रदान किया जा सके । **श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दी गई उक्त दलीलों एवं श्री एस. सी. शर्मा तथा श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी पूर्णत: सहमत है तथा इनमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/58 दिनांक: 26.02.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00046
CICOM/R/2018/01138

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

27/2/19.

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
27 FEB 2019
D. No.
Initials